भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4275

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

लड़कियों के लिए अलग शौचालय

†4275. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की कुल संख्या और प्रतिशत कितना है जहां बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय चालू हैं;

(ख) देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की ऐसी किशोरियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार प्रतिशत कितना है जिन्हें मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध हैं;

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता संबंधी राष्ट्रीय नीति के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है और इस निधि के वितरण का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता संबंधी राष्ट्रीय नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से विकसित की गई कार्य योजनाओं को व्यापक रूप से लागू करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): देश में लड़कियों के लिए कार्यशील पृथक शौचालयों वाले सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या तथा प्रतिशत अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) से (घ): सरकार 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए योजना लागू करती है। इस योजना का उद्देश्य किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, किशोरियों की सैनिटरी नैपकिन की सुलभता बढ़ाना और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन के

सुरक्षित निपटान को बढ़ावा देना है। मासिक धर्म स्वच्छता योजना को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समर्थित किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में मासिक धर्म स्वच्छता योजना के लिए आवंटित कुल बजट 330.39 करोड़ रुपये है।

स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति सरकार की स्कूल प्रणाली में मासिक धर्म स्वच्छता को मुख्यधारा में लाती है, ताकि स्कूली लड़कियों के बीच ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा मिले, कम जागरूकता की बाधाओं को दूर किया जा सके जो अक्सर उनकी स्वतंत्रता, गतिशीलता और दैनिक गतिविधियों में भागीदारी को प्रतिबंधित करती हैं।

यह नीति पूरे देश में लागू है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मौजूदा कार्यक्रमों के साथ सहयोजित है।

*****

20.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4275 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

अवसंरचना और सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर स्कूलों की संख्या; राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**स्कूलों की कुल संख्या***	**लड़कियों के शौचालय**	**कार्यशील बालिका शौचालय**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	42	42	42
आंध्र प्रदेश	6076	6011	5990
अरुणाचल प्रदेश	135	133	125
असम	4035	3787	3557
बिहार	7741	7678	7636
चंडीगढ़	53	53	53
छत्तीसगढ़	4705	4696	4668
डीडी और डीएनएच	53	52	52
दिल्ली	567	567	567
गोवा	328	328	328
गुजरात	6544	6502	6495
हरियाणा	1089	1081	1077
हिमाचल प्रदेश	961	956	954
जम्मू और कश्मीर	1003	984	970
झारखंड	1117	1108	1102
कर्नाटक	10048	9995	9947
केरल	1454	1453	1453
लद्दाख	58	58	57
लक्षद्वीप	9	9	9
मध्य प्रदेश	6207	6153	6101
महाराष्ट्र	10055	10027	9972
मणिपुर	157	149	139
मेघालय	799	731	700
मिजोरम	490	470	454
नागालैंड	123	108	91
ओडिशा	6391	6133	5898
पुडुचेरी	53	53	53
पंजाब	2033	2030	2025
राजस्थान	11551	11512	11344
सिक्किम	98	97	97
तमिलनाडु	3930	3919	3918
तेलंगाना	5785	5528	5147
त्रिपुरा	374	365	347
उत्तर प्रदेश	3316	3253	3198
उत्तराखंड	1155	1102	1056
पश्चिम बंगाल	2753	2751	2751

स्रोत :यूडीआईएसई 2021-22

** इसमे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं*

*****